

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
मु0नं0-85/2021

जीसीएमएस नं0 2021/92

उनवान -सरकार बनाम सुरेशचन्द, (मैसर्स बालाजी पनीर भण्डार) ज्ञानसरोवर कोलोने

ओडेला रोड धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0

एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -01.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री सुरेशचंद पुत्र श्री खूबचंद शर्मा जाति ब्राह्मण मैसर्स बालाजी पनीर भण्डार ज्ञानसरोवर कोलोनी औडेला रोड धौलपुर निवासी ज्ञानसरोवर कोलोनी औडेला रोड धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2020 को अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थी की डेयरी में रखे प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 50 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त मिश्रित दूध में से एक लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-1990 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1051/एसीटी/2020/1123 दिनांक 14.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सुरेशचंद पुत्र श्री खूबचंद शर्मा जाति ब्राह्मण मैसर्स बालाजी पनीर भण्डार ज्ञानसरोवर कोलोनी औडेला रोड धौलपुर निवासी ज्ञानसरोवर कोलोनी औडेला रोड धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51के तहत 3500/-रुपये (तीन हजार पाँच सौ रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र कौवर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)